



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ 7, 1939

No. 547]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 5/2017- एकीकृत कर

सा.का.नि. 697(अ).—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, अधिसूचना सं. 4/2017-एकीकृत कर, तारीख 28 जून, 2017 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में, माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करता है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक आवृत्त नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार है, ऐसे व्यक्ति द्वारा उक्त नियमों के अधीन जारी किए जाने वाले किसी कर-बीजक में, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड के अंकों का वर्णन करेगा।

सारणी

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में वार्षिक आवृत्त	एचएसएन कोड के अंकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	एक करोड़ पचास लाख रुपए तक	कुछ नहीं
2.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक और पांच करोड़ रुपए तक	2
3.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	4

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 5/2017-Integrated Tax

G.S.R. 697(E).—In pursuance of the first proviso to rule 46 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 read with notification No. 4/2017-Integrated Tax, dated the 28th June 2017, the Central Board of Excise and Customs, on the recommendations of the Council, hereby notifies that a registered person having annual turnover in the preceding financial year as specified in column (2) of the Table below shall mention the digits of Harmonised System of Nomenclature (HSN) Codes, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in a tax invoice issued by such person under the said rules.

TABLE

Sl. No.	Annual Turnover in the preceding Financial Year	Number of Digits of HSN Code
(1)	(2)	(3)
1.	Upto rupees one crore fifty lakhs	Nil
2.	more than rupees one crore fifty lakhs and upto rupees five crores	2
3.	more than rupees five crores	4

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 6/2017- एकीकृत कर

सा.का.नि. 698(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) और धारा 56 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिवर्ष ब्याज दर नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	धारा	ब्याज दर (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)
1.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20	18
2.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (3) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20	24
3.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (12) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20	6